न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 41/2019/प्रथम अपील

श्रीराम सैनी पुत्र अर्जुन लाल सैनी, मालियान की बड़ी ढ़ाणी, वार्ड नम्बर 08, ग्राम पोस्ट थोई, जिला सीकर (राज.) 332719।

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 04 नवम्बर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **श्रीराम सैनी** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 16.09.2019 से जिला पूल की जीप नम्बर आरजे 23 यूबी 6294 की की निम्न सूचनाएं व दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई हैं–

   (1) उक्त वाहन की 1 जून 2018 से 31 अगस्त 2019 तक की अवधि की भरी गई लॉग बुकों के पृष्ठों की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.11.2019 से अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना इस कार्यालय की पूल शाखा के पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना (19 पेज) भिजवाई गई। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना पूल शाखा के पत्र दिनांक 21.10.2019 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर